भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3317

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुंबई उच्च न्यायालय के रूप में पुनःनामकरण**

**3317. श्री संभाजी छत्रपती :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बॉम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलकर मुंबई उच्च न्यायालय करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सरकार के पास कब भेजा गया था ; और

(ग) इस संदर्भ में निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण है और बॉम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलने हेतु अनुमोदन प्रदान करने की निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई हो, क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग)** : उच्च न्यायालय (नामों में परिवर्तन) विधेयक, 2016 में क्रमशः बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के नामो को मुबंई, कोलकता, चेन्नई उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन को समर्थ बनाते हुए 19.07.2006 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था । परंतु तमिलनाडु राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के नाम को तमिलनाडु उच्च न्यायालय के रुप में परिवर्तन करने का अनुरोध किया उसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय परिवर्तित नाम के लिए सहमत नहीं हुआ था । केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों और संबद्ध उच्च न्यायालयों से पुनः अभिमत मॉँगे हैं विधेयक के अनुमोदन के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*